

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

को अपलोड करने पर डा. पट्ट
15। CPC का स्वीकार करने का न्यायालयी
कार्रवाई है।

अतः डा. पट्ट 15। CPC
का स्वीकार किया जाकर अपार्षिण
एवं 10 को न्यायालय आदेश दिनांक 2/2/24 में
सुप्रीम कोर्ट की हद तक विद्विष्ट किया
जाता है।

डा. पट्ट 2।2 RTA पर बहुत
उत्तरों की सुनी गई। बहुत सुनने
पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का
अपलोड करने पर एक पत्र है कि
पार्सी व अपार्षिण वादग्रस्त कर्मियों
सम्बन्धित हैं एवं वादग्रस्त कर्मियों का
विधिक विचार नहीं हुआ है।

अतः वाद की
बहुलता को देखते व वाद की विषय
वास्तु को बनाए रखने के लिए डा. पट्ट
के परम त. 2 में उल्लेखित कर्मियों पर
उत्तरों को ताले तलावाह भेजे
की प्रभावित नहीं रहने हेतु
पाबंद किया जाता है।

पत्रावली के तहत
शुमार होकर वर्ष नम्बर लेक धी


उपसचिव (आयकारी)
बोर्ड (जयपुर)